अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का

प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्री कमलेश पंवार	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 गौचर।	चमोली	1.अस्थाई खण्ड विद्युत/यांत्रिक खण्ड गोपेश्वर। 2.प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0गोपेश्वर।	17(1) धारा 1 (ख) (एक) धारा 17(1) (ख) (दो) धारा 17(1) (ख) (तीन) धारा 17(1) (ख) (चार) धारा 17(1) (ख) (पांच) धारा 17(1) (ख) (छः) धारा 17(1) (ख) (सात)		महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर में कार्यरत है, प्रार्थी का घर चमोली में है, चमोली से गौचर की दूरी लगभग 50 कि0मी0 है। महोदय प्रार्थी के 01 छोटा बच्चा है जिनकी आयु 5 वर्ष तथा परिवार में प्रार्थी की धर्मपत्नी है, जिनका स्वास्थ्य अकसर खराब रहता है। जिससे की प्रार्थी के परिवार की देख–रेख करने में कठिनाइयां हो रही है। प्रार्थी के परिवार मे माता–पिता का देहान्त हो चुका है। जिससे प्रार्थी की पत्नी की देखभाल मे कठनाईया आती है जिससे प्रार्थी को बार–बार घर जाना पड़ता है। अतः अनुरोध करना है की प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण निम्न वर्णित खण्डो में से किसी एक खण्ड में करने की महति कृपा करें जिससे की प्रार्थी अपने पारिवारिक परिस्थिति तथा राजकीय कार्यो का निर्वहन भी अच्छे से कर सके।

नोटः–कॉलम सं0–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर कार्मिक
नाम- कमलेश पंवार
पदनाम- कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम–
पद– अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
गोचर

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा:– उचित माध्यम

विषय:– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर में कार्यरत है। प्रार्थी का चमोली में है, चमोली से गौचर की दूरी लगभग 50 कि0मी0 है। महोदय प्रार्थी के 01 छोटा बच्चा है जिनकी आयु 5 वर्ष तथा परिवार में प्रार्थी की धर्मपत्नी है, जिनका स्वास्थ्य अकसर खराब रहता है। जिससे की प्रार्थी के परिवार की देख–रेख करने में कठिनाइयां हो रही है। प्रार्थी के परिवार में माता–पिता का देहान्त हो चुका है जिससे प्रार्थी की पत्नी की देखभाल में कठिनाईया आती है। जिससे प्रार्थी को बार–बार अपने घर जाना पड़ता है।

अतः अनुरोध करना है की प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण निम्नलिखित खण्डो में से किसी एक खण्ड में करने की महति कृपा करें जिससे की प्रार्थी अपने पारिवारिक परिस्थिति तथा राजकीय कार्यो का निर्वहन भी अच्छे से कर सके।
1–अस्थाई खण्ड विद्युत /यांत्रिक लो0नि0वि0गोपेश्वर।
2–प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0गोपेश्वर।

प्रार्थी

कमलेश पंवार
(कनिष्ठ सहायक)
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर।

अग्रिम प्रतिलिपि:–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रार्थी

कमलेश पंवार
(कनिष्ठ सहायक)
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर।

Scanned with OKEN S

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/त हसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री हरीश चन्द सिंह	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 पोखरी (चमोली)	तहसील चमोली जिला-चमोली	रा0मा0श्रीनगर	धारा के नाम के आगे (टिक) लगायें	स्पष्ट साक्ष्य का विवरण	मन्तव्य प्रार्थी द्वारा दुर्गम में 6 साल 10 माह 19 दिन की सेवा पूर्ण कर ली गयी एवं प्रार्थी के ... का ऑपरेशन हो रखा है जिससे दण्ड में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा उपचार न होने के कारण प्रार्थी को अपने स्वास्थ्य उपचार हेतु श्रीनगर जाना पड़ता है। अतः आप मेरा स्थानान्तरण दुर्गम से दुर्गम में करने की कृपा कीजियेगा।
					प्रा0ख0 कीर्तिनगर	[ ] धारा (1) (ख) (एक)	–	
					–	[ ] धारा (1) (ख) (दो)	–	
					–	[ ] धारा (1) (ख) (तीन)	–	
					–	[ ] धारा (1) (ख) (चार)	–	
					–	[ ] धारा (1) (ख) (पांच)	–	
					–	[ ] धारा (1) (ख) (छः)	–	
					–	–	–	
					–	–	–	
					–	[ ] धारा (1) (ख) (सात)	–	

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

नाम– हरीश चन्द्र सिंह
पदनाम– कनिष्ठ सहायक
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

नाम– इं0 संजय प्रसाद सिन्हा
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

पत्रांक- 950/4 ई० दिनांक 14/05/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

द्वारा:- उचितमाध्यम

विषय:- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन सहित अवगत कराना है कि प्रार्थी की दुर्गम सेवा 6 साल 10 माह 19 दिन की सेवा हो चुकी है प्रार्थी के पैर का आपरेशन हो रखा है जिससे ठण्ड में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा उपचार न होने के कारण प्रार्थी को अपने स्वास्थ्य उपचार हेतु श्रीनगर जाना पड़ता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर 1- रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर, 2- अ0ख0, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर में करने की कृपा करेंगें, ताकि प्रार्थी अपने पैर का परीक्षण कराने के साथ - साथ राजकीय कार्यों/पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन पूर्ण मनोयोग के साथ कर सकें, जिस हेतु प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार जीवनभर आपका आभारी रहेगा।

दिनांक:- 13.04.2024

अधीक्षण अभियन्ता

प्रार्थी

(हरीश चन्द्र सिंह)
कनिष्ठ सहायक
नि0ख0, लो0नि0वि0 पोखरी (चमोली)

अग्रिम प्रतिलिपि:- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष ग वर्ग उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून को प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरान्त प्रार्थी की तैनाती इन्ही खण्डों में करने की कृपा करेंगें।

प्रतिलिपि:- प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 गढ़वाल/कुमॉउ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

प्रतिलिपि:- जनपद अध्यक्ष/महामंत्री मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन लो0नि0वि0 चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत।

कनिष्ठ सहायक
नि0ख0, लो0नि0वि0 पोखरी (चमोली)

प्रधान | निर्माण खण्ड लो०नि०वि० | चमोली | ...

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारुप–2

क०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	10 ऐच्छिक स्थानों का नाम वरियता के कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	6
					1.विद्युत यांत्रिक खण्ड ऋषिकेश	धारा के नाम के आगे लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय अवगत कराना है, कि कार्मिक वर्तमान में निर्माण खण्ड गौचर में कार्यरत है प्रार्थी का मकान देहरादून में स्थित है जहां मेरी वृद्ध मेरी माता जी रहती है माता जी का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब रहता है, जिस कारण कार्मिक को अनेकोबार देहरादून जाना पड़ता है। गौचर से देहरादून की दूरी लगभग 200 किमी० है। जिस कारण आने जाने में ही काफी समय व्यतीत हो जाता है। अतः महोदय से निवेदन है, कि कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे इन 10 ऐच्छिक स्थानों में नियुक्त करने की कृपा करें जिससे कार्मिक अपने राजकीय कार्यों व पारिवारिक परिस्थितियों का निर्वहन अच्छे से कर सके।
					2.अस्थाई खण्ड ऋषिकेश			
					3.विद्युत यांत्रिक खण्ड देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (एक)	आवेदन पत्र	
					4.रा०रा०मा० देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (दो)		
1	अंकित सिंह असवाल	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर	चमोली/कर्णप्रयाग तहसील	5.रा०रा०मा० डोईवाला	धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					6.निर्माण खण्ड देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					7.प्रा०ख० देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
					8.निर्माण खण्ड नरेन्द्र नगर	धारा 17 (1) (ख) (छः)		
					9.निर्माण खण्ड श्रीनगर	धारा 17 (1) (ख) (सात)		
					10.अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर			

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम– अंकित सिंह असवाल
पदनाम कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम– अधिशासी अभियन्ता
पदनाम निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून।

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषय:– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में सादर अवगत कराना है, प्रार्थी वर्तमान में निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गौचर में कार्यरत है। प्रार्थी का घर देहरादून में स्थित है जहां मेरी वृद्ध मेरी माता जी रहती है माता जी का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब रहता है, जिस कारण कार्मिक को अनेकोबार देहरादून जाना पड़ता है। गौचर से देहरादून की दूरी लगभग 200 किमी० है। जिस कारण आने जाने में ही काफी समय व्यतीत हो जाता है। अतः महोदय से निवेदन है, कि कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत मुझे इन 10 ऐच्छिक स्थानों में नियुक्त करने की कृपा करें जिससे कार्मिक अपने राजकीय कार्यों व पारिवारिक परिस्थितियों का निर्वहन अच्छे से कर सके।

अतः महोदय प्रार्थी के 10 ऐच्छिक स्थान निम्नलिखित है।

1.विधुत यांत्रिक खण्ड ऋृषिकेश
2.अस्थाई खण्ड ऋृषिकेश
3.विधुत यांत्रिक खण्ड देहरादून
4.रा०रा०मा० देहरादून
5.रा०रा०मा० डोईवाला
6.निर्माण खण्ड देहरादून
7.प्रा०ख० देहरादून
8.निर्माण खण्ड नरेन्द्र नगर
9.निर्माण खण्ड श्रीनगर
10.अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर

प्रार्थी

अंकित सिंह असवाल
कनिष्ठ सहायक
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर(चमोली)

अग्रिम प्रतिलिपि:– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष महोदय लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रान्तीय अध्यक्ष/ प्रान्तीय महामंत्री/क्षेत्रीय अध्यक्ष गढवाल मण्डल को इस आशय से प्रेषित की कृपया आप अपने स्तर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी

अंकित सिंह असवाल
कनिष्ठ सहायक
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर(चमोली)

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रमांक	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 ग के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्य सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे चिन्ह लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्री अरविन्द सिंह राणा	वरिष्ठ सहायक	अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	उत्तरकाशी	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	धारा 17 (1) (ख) (एक)		महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट में कार्यरत है। प्रार्थी का घर भटवाड़ी में है। भटवाड़ी से बड़कोट की दूरी 140 कि0मी0 है। महोदय प्रार्थी के तीन छोटे बच्चे एवं वृद्ध माताजी है जिनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। जिससे प्रार्थी को परिवार की देखरेख करने में कठिनाईया हो रही है। अतः अनुरोध है कि प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण कॉलम 6 में अंकित खण्डों में से किसी एक खण्ड में करने की कृपा करें जिससे प्रार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थिति तथा राजकीय कार्यों का निर्वहन भली भांति कर सके।
					प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़	धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
						धारा 17 (1) (ख) (छ) ✓		
						धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोट– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम – अरविन्द सिंह राणा
पदनाम– वरिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (नियोक्ता/अग्रसारक)
नाम– इं0 राजेश पाल
पदनाम – अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0
बड़कोट।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धाराओं के नाम	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अनूप कुमार	कनिष्ठ सहायक	अ०ख०, लो०नि०वि०, धनसाली	जनपद–टिहरी गढवाल तहसील–जाखणीधार	प्रा०ख०, लो०नि०वि०, नई टिहरी।	☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☑ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :– अनूप कुमार

पदनाम :– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम :– इं० डी०सी० नौटियाल

पदनाम :–अधिशासी अभियन्ता, अ०ख०, लो०नि०वि०, धनसाली।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
घनसाली टिहरी गढ़वाल

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धाराओं के नाम	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री विजेन्द्र प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली	जनपद–टिहरी गढवाल तहसील–घनसाली	अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली नि0ख0, लो0नि0वि0, चम्बा। अ0ख0, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर।	☐ धारा 17(1) (ख) (एक) ☐ धारा 17(1) (ख) (दो) ☐ धारा 17(1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17(1) (ख) (चार) ☐ धारा 17(1) (ख) (पांच) ☑ धारा 17(1) (ख) (छः) ☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		अनुरोध करना है, कि निकट भविष्य में मेरी पदोन्नति होनी निश्चित है, जिस कारण मुझे अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली में रहने दिया जाए एवं स्थानान्तरण वर्ष 2024 में दुर्गम से सुगम स्थानान्तरण में वंचित रखा जाए।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम :– विजेन्द्र प्रसाद

पदनाम :– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम :– इं0 डी0सी0 नौटियाल

पदनाम :–अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रम सं0	कर्मचारी कोड	नाम / पदनाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक तीन वरियता के क्रम में।	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के क्रम के ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	42270313F01 389	श्री सरोज बडोनी, कनिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक	नि0/खं0 खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।	—	धारा 17(1) (ख) (एक)		स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1) ख(5) महोदय मेरी माता की उम्र 85 वर्ष से अधिक है, जो अस्वस्थ रहती है। अस्वस्थता के कारण वो अपनी देखभाल करने में असमर्थ है। मेरे पति की मृत्यु के उपरान्त उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। साथ ही एकल अभिभावक होने के कारण अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भी स्वयं मेरे ही द्वारा किया जाता है।
						धारा 17(1) (ख) (दो)		
						धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						धारा 17(1) (ख) (चार)		
						धारा 17(1) (ख) (पांच) ✓		
						धारा 17(1) (ख) (छः)		
						धारा 17(1) (ख)-(सात)		

हस्ताक्षर कार्मिक

नाम सरोज बडोनी

पदनाम कनिष्ठ सहायक

(अनिल मोहन बघेल)

अधिशासी अभियन्ता,

नि0/खं0 खण्ड लो0नि0वि0, देहरादून।

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र0 सं0	कर्मचारी कोड	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक तीन वरीयता के क्रम में।	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42270313M01456	श्री अभिषेक तिवारी	कनिष्ठ सहायक	नि0/प्रा0 खण्ड लोनिवि देहरादून।	[illegible], लोनिवि, [illegible]	धारा के नाम के ✓ लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1) ख(एक) महोदय मैं डायबिटीज से पीड़ित हूँ, समय-समय पर मुझे चिकित्सक के पास उपचार हेतु जाना होता है। माता-पिता की मृत्यु के उपरांत घर व छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। साथ ही निकट भविष्य में मेरी पदोन्नति भी होनी है। अतः निवेदन है, कि प्रार्थी को इस वर्ष में स्थानान्तरण से छूट देते हुए पदोन्नति के समय स्थानान्तरित करने की कृपा करें।
					[illegible], लोनिवि, [illegible]।	धारा 17(1) (ख) (एक)		
					निर्माण खण्ड, लोनिवि चम्बा।	धारा 17(1) (ख) (दो)		
					प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि, नई टिहरी।	धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					निर्माण खण्ड, लोनिवि, चिन्यालीसौड़।	धारा 17(1) (ख) (चार)		
						धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						धारा 17(1) (ख) (छः)		
						धारा 17(1) (ख) (सात)		

हस्ताक्षर कार्मिक (हस्ताक्षर)

नाम अभिषेक तिवारी

पदनाम कनिष्ठ सहायक

(हस्ताक्षर)

अधिशासी अभियन्ता,

नि0/प्रा0 खण्ड, लोनिवि, देहरादून।

VARDHMAN TRAUMA & LAPAROSCOPY CENTRE PVT. LTD.

Dr. NUTAN JAIN
M.B.B.S., M.S., F.I.C.O.G., F.I.C.M.C.H.
ADVANCE LAPAROSCOPIC SURGEON

Dr. Siddharth Gupta
Laparoscopic Surgeon
Urologist & Andrologist
1st Floor, Room No: 15

Dr. VANDANA JAIN
M.B.B.S., M.D.
INFERTILITY AND IVF SPECIALIST

MALE FORM

Name: Abhishek Tiwari Age: 32 Occupation: PWD Dept. Working in DDN Staying with: (Y/N) ✓

W - Shivali

Date of Birth:

Comments

Wt: Ht:

Routine Inv:

Mx test:

ABORH:

Blood Sugar F - 246 PP - 331

HIV: -ve

VDRL: -ve

HBSAg: -ve HCV: -ve

Hormone Profile:

T3

T4

TSH

FSH:

LH:

PROLACTIN:

TESTORSTERONE:

13/1/21

1st HSA (Date) — Count: Formation; Motile: 60%; Grade: II

CXS = ✓

Adv:

Tab Fluclue [illegible]
Tab Foregesl [illegible] HS
Cap: Evecon [illegible]

2nd HSA (Date) — Count; Motile; Grade

Adv:

3rd HSA (Date) — Count; Motile; Grade

Adv:

L20 - DR. MAMTA MATHUR - FPSC VIVEK
VIHAR GMS ROAD
4[illegible] VIVEK VIHAR, POCKET 1 GMS ROAD,
DEHRADUN, UK Mb 9410922626
DEHRADUN

Name	: Mr. ABHISHEK TIWARI			Collected	2/5/2022 11:49:00AM
Lab No.	: 382407460	Age: 31 Years	Gender: Male	Received	2/5/2022 11:53:23AM
A/c Status	: P	Ref By : SELF		Reported	2/5/2022 7:03:41PM
				Report Status	: Final

Test Name	Results	Units	Bio. Ref. Interval
GLUCOSE, FASTING (F) AND POST MEAL, PLASMA			
(Hexokinase)			
Glucose Fasting	209.00	mg/dL	70.00 - 100.00
Glucose (PP)	342.00	mg/dL	70.00 - 140.00

Note

1. The diagnosis of Diabetes requires a fasting plasma glucose of > or = 126 mg/dL and/or a random / 2 hr post glucose value of > or = 200 mg/dL on at least 2 occasions
2. Very low glucose levels cause severe CNS dysfunction
3. Very high glucose levels (>450 mg/dL in adults) may result in Diabetic Ketoacidosis & is considered critical

Interpretation

Status	Fasting plasma glucose in mg/dL	PP plasma glucose in mg/dL
Normal	70-100	70-140
Impaired fasting glucose	101-125	70-140
Impaired glucose tolerance	70-100	141-199
Pre diabetes	101-125	141-199
Diabetes mellitus	>126	>200

[illegible]
MD Pathology

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारुप–2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का कनाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अर्जुन चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लो0नि0वि0 सल्ट	अल्मोड़ / सल्ट	रा0रा0खण्ड धुमाकोट	धारा 17(1) (ख) (एक)		
					रा0रा0खण्ड रानीखेत	धारा 17(1) (ख) (दो)		
					प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत	धारा 17(1) (ख) (चार)		
						धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						धारा 17(1) (ख) (छ:)		
						धारा 17(1) (ख) (सात)		

नाम अर्जुन चन्द्र
पदनाम कनिष्ठ सहायक

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)
लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

H:\CHANDAN PEN DRIVE\DESKTOP 17.01.2021\Desktop\RAMNAGAR CAMP\Transfer XX

Scanned with OKEN Scanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद /तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान में वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नितिन रतूडी	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, देहरादून स्मार्ट सिटी, पी0आई0यू0 लोक निर्माण [illegible]	टिहरी / देवप्रयाग	1. अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर	धारा 17(i) ख (सात)		आवेदन के सापेक्षी साक्ष्य संलग्न,
					2. निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	धारा 17(i) ख (सात)		
					3. प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी	धारा 17(i) ख (सात)		

नोट :– कॉलम संख्या –7 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– नितिन रतूड़ी
पद नाम– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालय अध्यक्ष)

नाम–इं0 प्रवीन कुश
पद नाम– अधिशासी अभियन्ता
Project Manager
Dehradun Smart City (PIU)

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

द्वारा :- उचित माध्यम।

विषय :- स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के अन्तर्गत अनुरोध के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि, प्रार्थी कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, देहरादून स्मार्ट सिटी, पी0आई0यू0 लोक निर्माण विभाग देहरादून में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है, महोदय स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–1, वर्ष 2018) की धारा 17(1) ख (सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अपनी निम्नलिखित परिस्थितियों, मय साक्ष्य सहित अनुरोध प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. महोदय वर्तमान में प्रार्थी का परिवार–पत्नी एवं 02 बच्चे श्रीनगर गढ़वाल में निवासरत है।
2. महोदय दिनांक 29.03.2024 को प्रार्थी की एक पुत्री हुयी है, (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न), महोदय प्रार्थी की पुत्री की Sigerian के उपरान्त हुयी है, जिस कारण प्रार्थी की पत्नी का अकेले दोनो बच्चों की देखभाल करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
3. प्रार्थी का पुत्र श्रीनगर में ही अध्ययनरत है, एवं बच्चों का स्कूल लाने एवं ले जाने में भी कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है।
4. महोदय प्रार्थी की पत्नी के Gall Bladder में Stone है जिस हेतु पूर्व में दिनांक 01.01.2024 को दिनांक 04.01.2024 तक AIIMS ऋषिकेश में एडमिट थी। (Discharge Summary संनग्न), जिसमें चिकित्सकों द्वारा Surgery की सलाह दी गयी है, एवं Dischrge Summary में आंकन किया गया है कि F/U In Gen Surgery OPD Unit II (Tues/Fri) after Delullvery for interval cholecystectomy.
5. महोदय चूँकि प्रार्थी के परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है जिस हेतु पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन यथा बच्चों की देखभाल करने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे सादर अनुरोध है कि प्रार्थी की उपरोक्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण निम्नलिखित खण्डों में से किसी भी खण्ड में करने की कृपा करें, जिस हेतु प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।

1. अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर
2. निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर
3. प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पौड़ी

सादर,

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रार्थी

(नितिन रतूड़ी)
कनिष्ठ सहायक,
कार्यालय प्रयोजना प्रबन्धक
देहरादून स्मार्ट सिटी पी0आई0यू0
देहरादून।

अग्रिम प्रति :- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन "ग" वर्ग, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि :- प्रान्तीय अध्यक्ष/प्रान्तीय सचिव/क्षेत्रीय अध्यक्ष (गढ़वाल)/क्षेत्रीय सचिव (गढ़वाल), मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी की उपरोक्तानुसार परिस्थितियों को देखते हुए अनुरोध के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

(ह०)
कनिष्ठ सहायक,
कार्यालय प्रयोजना प्रबन्धक
देहरादून स्मार्ट सिटी पी0आई0यू0
देहरादून।

All India Institute of Medical Sciences Rishikesh

DISCHARGE SUMMARY

UHID : 20240000022
Patient Name: Ms. NUTAN KUKRETI
Age /Sex: 31 Years 6 Months 1 Days 0 Hours / Female
W/O : NITIN RATURI
Billing Type : General
IPD Admission ID :: 2024185
Treating Doctor: Dr. Poonam Poonam,
Mobile No: [redacted]803
Date of Admission: 01/01/2024 06:37:12 PM
Operation Date:
Date of Discharge : 04/01/2024 06:40:00 PM
Address : KHANDUDIYON KA BAGH, UTTARAKHAND, INDIA
Surgeon :
Procedure :
Consulting Doctor : Dr. Poonam Poonam

Department: Obstetrics and Gynaecology
Unit:: 2
Ward:: 233 Obstetric ward
MLC Patient: NO
Discharge Type: Normal Discharge
Bed No 17
Drug Allergy :-

Asst.Surgeon :
Operative Findings
:

Diagnosis : G2P1L1 AT 26 WKS POG WITH PREVIOUS 1 LSCS WITH ACUTE PANCREATITIS WITH H/O CHOLELOTHIASIS
ICD Code:
Admitted For: Conservative
Physical Findings: General Exam :- Systematic Exam :- Local Exam :-
Condition During Discharge : Stable

Brief Summary of the Case:

G2P1L1 at 26 wks POG with previous 1 LSCS presented to AIIMS RD with
ÂcÂÂ epigastric pain since 3 days (after taking meals, followed by nausea and vomiting)
ÂcÂÂ vomiting present.
No H/O leaking PV, bleeding PV.
Perceiving fetal movements well .
T1 Present pregnancy was spontaneous conception, confirmed by UPT at home. No H/O regular folic acid intake. No H/O excessive nausea /vomiting. No ÂcÂÂ Bleeding per vaginum.No H/O fever with or without rash/ burning micturition/ spotting P/V. No H/O radiation/teratogenic drug intake.
T2/3: Quickening felt at 5th month of pregnancy. H/O irregular intake of Iron/ Calcium tablets. Received 2 doses of inj. TT .No h/o deranged blood sugars/raised BP records.
No h/o epigastric pain ,blurring of vision or headache. No h/o itching over palms and soles.No H/O heart disease, Thyroid disorder.

M/H :
LMP :- 03/07/23
PMC- regular/ avg. Flow /4-5 days,not a/w dysmenorrhea or passage of clots.
O/H :
ML - 5 years
G2P1L1
P1 : 3 years /male/FT LSCS i/v/o cord around neck/A & H/No ANC & PNC

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						[illegible]	[illegible]	
1	शैलेन्द्र सिंह डंगी	कनिष्ठ सहायक	प्रा०ख०सिं०नि०लि० नैनीताल	अल्मोड़ा	① C.D. रानीखेत ② N.H. रानीखेत ③ P.D. रानीखेत	☐ [illegible]		
						☐ [illegible]		
						☐ [illegible]		
						☐ [illegible]		
						☐ [illegible]		
						☐ [illegible]		
						☑ [illegible]		

[illegible]

[illegible] (signature)

[illegible] शैलेन्द्र सिंह डंगी

[illegible] कनिष्ठ सहायक

[illegible] (signature)

[illegible] अधिशासी अभियन्ता

[illegible] (signature and stamp)

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग उत्तराखण्ड
लोक निर्माण विभाग देहरादून

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय :- अनुरोध के आधार पर दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पत्र के क्रम में सादर अवगत करना है कि प्रार्थी वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,नैनीताल में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है, मेरा परिवार वर्तमान में अल्मोड़ा में निवास करता है, महोदय मेरे दो छोटे-छोटे बच्चे है जिनकी आयु कमशः 3 वर्ष एवं 1 वर्ष है, मेरे छोटे भाई का एक पैर पूर्ण रूप से विकलांग है (प्रति संलग्न है) जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ,एवं मेरी माता जी की उम्र 60 वर्ष से अधिक है अकसर माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है जिस कारण माता जी को स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सको के पास लेकर जाना पडता है। माता जी व अन्य परिवार के सदस्य पूर्ण रूप से मुझ पर ही आश्रित है। उनकी देख रेख हेतु मुझे बार-बार घर जाना पडता है। जिससे प्रार्थी पूर्ण रूप से राजकीय कार्यो को समय नही दे पा रहा हैं।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 01, वर्ष 2018) में अंकित अधिनियम बिन्दु संख्या 13,14,17(1)(ख) में अंकित शर्तो एवं मेरी पारिवारिक समस्याओं को मध्यनजर रखते हुए मेरा स्थानान्तरण अल्मोड़ा एवं रानीखेत के किसी भी खण्ड में करने की कृपा करें जिससे प्रार्थी द्वारा राजकीय कार्यो का पूर्ण रूप से ससमय सम्पादन के साथ-साथ अपने पारिवारिक समस्याओं का भी निर्वहन कर सकूंगा। जिसके लिए प्रार्थी सपरिवार आपका आजन्म आभारी रहेगा।

प्रार्थी
03/05/24

राजेन्द्र सिंह डांगी
कनिष्ठ सहायक
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,नैनीताल

03/5/24

अग्रिम प्रतिलिपि :- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष (ग) वर्ग लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनूरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा स्थानान्तरण उपरोक्तानुसार करने की कृपा करेंगे।

DISTRICT ALMORA

ANNEXURE - I

STANDARD FORMAT OF THE CERTIFICATE

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL issuing the Certificate

Date 16/9/2023

Certificate No. 1422

CERTIFICATE FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES

This is to certify that Shri/Smt/Ku Santosh Singh

Son/Wife/Daughter of Shri Suresh Singh

12/07/1994 Years old resident of Dangikhola P.O. Govindpur

Almora Reg No. 6092 Amputation

Through Knee He/She is physically disabled/visual disabled/

Speech & Hearing disabled and has 69 %

Sixty Nine percent

permanent (physical impairment / visual impairment / speech & hearing impairment)

in relation to his/her Left Lower Limb

OL

Note:

1. This condition is progressive/likely to improve/not likely to improve*
2. Re-assessment is not recommended after a period of ...... months/years. Permanent

Strike out which is not applicable

(DOCTOR)

Seal

(DOCTOR)

Seal

(DOCTOR)

Seal

Dr. ANKUR GUPTA
E.N.T. SURGEON
D. H., ALMORA
UKMC-9779

Signature/Thumb Impression of the patient

MCI Reg No 41457

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	6	9
1	संजय नेगी	कनिष्ठ सहायक	प्रा० स्वा० के० नि० वि० ० रूद्रप्रयाग	पौड़ी / श्रीनगर गढ़	① अ० स्वा० कीर्तिनगर ② रा० आ० स्वा० श्रीनगर ③ नि० स्वा० श्रीनगर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छ)	माता का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, प्रमाण पत्र संलग्न	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
[signature]

नाम– संजय नेगी
पदनाम– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
[signature]

नाम– [illegible]
पदनाम– [illegible]

MAA DHARI DIAGNOSTIC CENTRE

DR. JYOTI JOSHI, MBBS
M.D. RADIODIAGNOSIS
☎ 7456875543
☎ 7456875543

Facilities available:

ULTRASOUND

- Usg whole abdomen &pelvis
- Obstetrics Ultrasound
- Level II Ultrasound /Anomaly Scan
- TVS & TRUS
- USG Small Parts (Neck,Thyroid, Scrotum,Cranium & MSK)
- Breast Ultrasound
- Follicular monitoring
- B-Scan/ EyeUltrasound
- Chest Ultrasound

COLOR DOPPLER

- Obstetrics Doppler
- Carotid Doppler
- Peripheral Vascular Doppler
- Renal Doppler
- Scrotal Doppler

Other Services

- ECG
- Echocardiography
- Holter Monitoring

NAME :- Pushpa Devi AGE / SEX :- 64 / F

DATE :- 22/4/24

BP = 130/90

C/o

Usg whole Abdomen

A-B-D Pain | ½ t.

Rx

Tab Cefixime 200 mg × twice a day

Tab Aceclo-SP × 10 day

Syp Cough × 1 TDS BM

Tab Esomeprazole × BBF × 10 day

Tab ... SR - ON × 30 day

USG Scanning Timings:
3:30pm to 9:00 pm

Sunday Timing
10:00am to 5:00pm

पता :गैस GODAM के पास, श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर गढ़वाल
(VALID FOR 7 DAYS ONLY, 7 दिनों के लिए वैध)

06/05/2024

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारुप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमति रश्मि गुप्ता,	प्रधान सहायक	प्रा0ख0,लो0नि0वि0, हरिद्वार	सहारनपुर	1–प्रा0ख0,लो0नि0वि0,हरिद्वार 2–नि0ख0,लो0नि0वि0,रुड़की। 3–रा0मा0 खण्ड, डोईवाला।	धारा 17(1)(ख)(पांच)		महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरी नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 07.05.2007 को अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश में हुई थी। मेरा एक पुत्र है, मैं एक विधवा कार्मिक हूँ, तथा मैं अकेली ही अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही हूँ एवं मेरे पुत्र की देखभाल करने वाला परिवार में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है जिस कारण मैं अभी दुर्गम क्षेत्र में जाने में असमर्थ हूँ। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के बिन्दु संख्या (6) के अनुसार भी विधवा कर्मचारी को ऐच्छिक स्थान पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने का पात्र माना गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में मेरा स्थानान्तरण उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून का कार्यालय ज्ञाप संख्या–150126/111(1)/2023-60835/EST/TRA/11/2023 दिनांक 28.08.2023 द्वारा रा0मा0 खण्ड,लो0नि0वि0, देहरादून से प्रा0ख0, लो0नि0वि0, हरिद्वार में हुआ था। स्थानान्तरण हुये अभी 1 वर्ष से भी कम समय हुआ है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये मुझे दुर्गम क्षेत्र की तैनाती/स्थानान्तरण से अभी मुक्त रखने तथा यथावत खण्ड में ही रखने की कृपा करें, मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी

हस्ताक्षर (कार्मिक) 13-5-24

नाम– श्रीमति रश्मि गुप्ता

पदनाम– प्रधान सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– डॉ सुरेन्द्र कुमार [illegible] 18/5/2024

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

[illegible] लो0नि0वि0

हरिद्वार

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 ख के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे चिन्ह लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून में कार्यरत है। प्रार्थी का घर देहरादून से 200कि0मी0 है। महोदय प्रार्थी की माता जी की बांयी पैर का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी देखरेख मुझे ही करनी पड़ती है। जिससे प्रार्थी को परिवार की देखरेख करने में कठिनाईयां हो रही है। अतः अनुरोध करना है कि प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण निम्न वर्णित खण्डो में से किसी एक खण्ड में करने की महति कृपा करें, जिससे प्रार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थिति तथा राजकीय कार्यों का निर्वहन भी भांति भांति कर सके।
1	रमेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	देहरादून/त्यूनी			—	
2					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला	धारा 17 (1) (ख) (एक)		
3					निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	धारा 17 (1) (ख) (दो)		
4					रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट	धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
5					प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून	धारा 17 (1) (ख) (चार)		
6					अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
7					अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	धारा 17 (1) (ख) (छः)		
8					रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, डोईवाला	धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के संबंध में सक्षम स्तर निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम– रमेश कुमार
पदनाम– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम– ई0 दीपक गुप्ता
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता
National Highway Division, PWD
Dehradun.

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

प्रारूप–2

खण्ड का नाम–प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।

क्र.सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	महेश चन्द्र /	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0विभाग रानीखेत	अल्मोड़ा / भिकियासैण	1– रा0मा0 खण्ड,रानीखेत। 2– निर्माण खण्ड, रानीखेत। 3– प्रान्तीय खण्ड रानीखेत।	धारा 17 (1)ख (छ:)	महोदय आपके कार्यालय ज्ञाप सं0 698 / 125 प्रण– अधि–प0 / 2023 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा मेरा स्थानान्तरण प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 रानीखेत में किया गया था। जिसके फलस्वरूप मेरे द्वारा दिनांक 22.09.2023 को योगदान दिया गया है। लगभग 6 माह व्यतीत होने के पश्चात पुनः स्थानान्तरण की पात्रता सूची में नाम अंकित किया गया है। मेरे द्वारा अभी ही अपने बच्चो का रानीखेत स्थित विद्यालयों में कक्षाओं में पंजीकरण किया गया है। जबकि मेरा पाल्य कक्षा 10 में एवं पाल्या कक्षा 5 में अध्ययनरत है इसके साथ ही मेरा पाल्य जो कक्षा 10 में अध्ययनरत है उसका शैक्षिणिक संस्थान परिवर्तन नही किया जा सकता है। मेरा स्थानान्तरण होने के पश्चात मेरे पाल्य को भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पडेगा 6 माह के पश्चात पुनः स्थानान्तरण होने पर प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। प्रार्थी को उक्त परिस्थितियों से निपटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडेगा उक्त सम्भावना को देखते हुए प्रार्थी दुर्गम में ही तैनात रहने का इच्छुक हूँ।इसमें मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है। शासनादेश संख्या 7 / 30236 / XXX (2) / 2023 / E–33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "राज्याधीन सेवाओं में दुर्गम में तैनात कार्मिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहते है तो उन्हें अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जा सकेगी, किन्तु ऐसे कार्मिक को एक ही कार्यालय / तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक का समय नही हुआ हो " का प्राविधान है। प्राविधान के अनुसार प्रार्थी को वर्तमान कार्यालय में योगदान दिये हुए अभी 6 माह का समय ही हुआ है। अतः मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0रानीखेत मे ही बने रहने दिया जाय।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम– महेश चन्द्र
पदनाम– कनिष्ठ सहायक

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
अधिष्ठान वर्ग
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

द्वारा :- उचित माध्यम।

विषय:- स्थानान्तरण वर्ष 2024 में दुर्गम क्षेत्र से स्थानान्तरण न करने के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक 15.04.2024 को स्थानान्तरण वर्ष 2024 में (कनिष्ठ सहायक का) दुर्गम से सुगम में पात्र कार्मिकों की सूची जारी की गई है जिसमें मेरा नाम क्रमांक 03 पर अंकित है। इस संबन्ध में आपको अवगत कराना है कि आपके कार्यालय ज्ञाप सं0 698/125 व्यग– अधि–30/2023 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा मेरा स्थानान्तरण प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 रानीखेत में किया गया था। जिसके फलस्वरुप मेरे द्वारा दिनांक 22.09.2023 को योगदान दिया गया है। लगभग 6 माह व्यतीत होने के पश्चात पुनः स्थानान्तरण की पात्रता सूची में नाम अंकित किया गया है। मेरे द्वारा अभी ही अपने बच्चों का रानीखेत स्थित विद्यालयों की कक्षाओं में पंजीकरण किया गया है। जबकि मेरा पाल्य कक्षा 10 में एवं पाल्या कक्षा 5 में अध्यनरत है इसके साथ ही मेरा पाल्य जो कक्षा 10 में अध्ययनरत है उसका शैक्षिणिक संस्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मेरा स्थानान्तरण होने के पश्चात मेरे पाल्य को भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा 6 माह के पश्चात पुनः स्थानान्तरण होने पर प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। प्रार्थी को उक्त परिस्थितियों से निपटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उक्त सम्भावना को देखते हुए प्रार्थी दुर्गम में ही तैनात रहने का इच्छुक है।इसमें मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि शासनादेश संख्या 7/30236/XXX(2)/2023/E–33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "राज्याधीन सेवाओं में दुर्गम में तैनात कार्मिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहते है तो उन्हें अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जा सकेगी, किन्तु ऐसे कार्मिक को एक ही कार्यालय/तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो " का प्राविधान है। प्राविधान के अनुसार प्रार्थी को वर्तमान कार्यालय में योगदान दिये हुए अभी 6 माह का समय ही हुआ है।

अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त शासनादेश में वर्णित बिन्दु संख्या 4 के अनुसार दुर्गम में ही रहने की छूट प्रदान करने की कृपा करें। जिससे कि प्रार्थी पारिवारिक एंव मानसिक तनाव से मुक्त होकर राजकीय कार्यो को पूर्ण मनोयोग से ससमय सम्पादन कर सकूं। जिस हेतु प्रार्थी आपका आभारी रहेगा।

(हस्ताक्षर) 25/4/24
(महेश चन्द्र)
कनिष्ठ सहायक
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक– / तददिनांकित।

अग्रिम प्रतिलिपि:– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष अधिष्ठान वर्ग उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार प्रार्थी को दुर्गम में रहने की ही छूट प्रदान करने की कृपा करें जिससे कि प्रार्थी पारिवारिक एवं मानसिक तनाव से मुक्त होकर राजकीय कार्यो को पूर्ण मनोयोग से ससमय सम्पादन कर सकूं।

प्रतिलिपि:– प्रान्तीय /केंद्रीय अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मिनिस्ट्रीरियल एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग देहरादून/हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रार्थी को 6 माह के पश्चात पुनः स्थानान्तरण होने पर प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है जिस हेतु आप अपने स्तर से भी उक्त के संबन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

E. C-I

मूल में संस्तुति सहित अग्रसारित

(महेश चन्द्र)
कनिष्ठ सहायक
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

Exe. Eng
25/4/24

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत (अ0 मो0)

Latter 1 GE

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,रानीखेत।

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679
E-mail- eepdranikhet@yahoo.com

पत्रांक– /2 जी0ई0 दिनांक 25/04/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
अधिष्ठान वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

विषय :– श्री महेश चन्द्र , कनिष्ठ सहायक को स्थानान्तरण सत्र में दुर्गम से दुर्गम में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ– शासनादेश संख्या 7/30236/XXX(2)/2023/E–33080 दिनांक 15.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि इस खण्ड में कार्यरत श्री महेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक के द्वारा स्थानान्तरण सत्र में दुर्गम से दुर्गम में रहने हेतु छूट प्रदान किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री महेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण आपके कार्यालय ज्ञाप सं0 690/125 भाग– अधि–03/2023 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा इस खण्ड में किया गया था। जिसके फलस्वरूप इनके द्वारा दिनांक 22.09.2023 को योगदान दिया गया है। वर्तमान में इनके द्वारा वनभूमि से सम्बंधित महत्वपूर्ण कार्यों का सफल सम्पादन किया जा रहा है इसके साथ ही साथ शिविर सहायक तृतीय/चतुर्थ से संबन्धित समस्त कार्यों का पूर्ण लगन एवं समयबद्धता के साथ निस्तारित किया जा रहा है। श्री महेश चन्द्र कनिष्ठ सहायक को इस खण्ड में योगदान दिये हुए 06 माह का समय ही व्यतीत हुआ है। यदि इनका इस खण्ड से स्थानान्तरण किया जाता है तो खण्ड के अन्तर्गत इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को समय सम्पादन कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। श्री महेश चन्द्र कनिष्ठ सहायक के द्वारा दुर्गम में ही रहने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है का प्रार्थना पत्र दिया गया है (प्रार्थना पत्र संलग्न) "शासनादेश संख्या 7/30236/XXX(2)/2023/E–33080 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "राज्याधीन सेवाओं में दुर्गम में तैनात कार्मिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहते है तो उन्हें अनिवार्य स्थानान्तारण से छूट प्रदान की जा सकेगी, किन्तु ऐसे कार्मिक को एक ही कार्यालय/तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक का समय नहीं हुआ हो " का प्राविधान है। प्राविधान के अनुसार श्री महेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक इस कार्यालय में योगदान दिये हुए अभी 6 माह का समय ही हुआ है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजकीय हित में श्री महेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक को शासनादेशानुसार दुर्गम से दुर्गम में रहने हेतु छूट प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न– प्रार्थना पत्र मूल में।

भवदीय

(इं0 ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक– / तददिनांकित।

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

Latter 1 GE

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

क्र0 स0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	सन्तोष कुमार	कनिष्ठ सहायक	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता	चकराता	1–अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया 2–निर्माण खण्ड, पुरोला 3–अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड 4–निर्माण खण्ड, बडकोट 5–निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड 6–रा0मा0खण्ड, बडकोट	

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– (सन्तोष कुमार)
पदनाम–कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

10/05/24

नाम–(ई0 एल0के0गोयल)
पदनाम–अधिशासी अभियन्ता।

Scanned with CamScanner

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	धर्म सिंह	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर	टिहरी / घनसाली	01. निर्माण खण्ड चम्बा 02. अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर 03. निर्माण खण्ड श्रीनगर 04. अस्थाई खण्ड थत्यूड 05. निर्माण खण्ड देहरादून 06.रा० मा० ख० देहरादून 07. प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार 08. प्रान्तीय खण्ड टिहरी 09. अस्थाई खण्ड घनसाली	धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छः) धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोटः– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
06/03/2024
नाम– धर्म सिंह
पदनाम– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम– ई. राजबीर सिंह चौहान
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन लो॰नि॰वि॰,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

क्रम स0 2321
पत्रावली सं0 45
दिनांक 06/05/2024

द्वारा:- उचित माध्यम।

विषय- **अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अनुरोध है कि प्रार्थी वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। खण्ड में मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर नवनियुक्ति होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक- 11.05.2022 को योगदान किया गया है। प्रार्थी की माता जी वृद्ध है जो कि वर्तमान में गांव (ग्राम- गवाणा मल्ला, तहसील- घनसाली, जिला- टिहरी गढ़वाल) में रह रही हैं उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सालय जाना पड़ता है।

महोदय प्रार्थी की माताजी गांव में अकेली रहती हैं तथा वृद्ध हैं जिनकी देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी के ऊपर है। प्रार्थी को समय-समय पर माताजी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सालय जाना पड़ता है। प्रार्थी की तैनाती गांव से अत्यधिक दूरस्थ होने के कारण प्रार्थी की माताजी का स्वास्थ्य परीक्षण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः महोदय से करबद्व निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद टिहरी के किसी भी खण्ड में करने की कृपा कीजियेगा।

प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

E(E) 06/05

प्रार्थी
[signature] 06/05/2024
धर्म सिंह
(कनिष्ठ सहायक)
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अग्रिम प्रतिलिपिः- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०वि०वि० देहरादून का इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण देहरादून के किसी भी खण्ड में करने की कृपा कीजियेगा।

प्रतिलिपिः- प्रान्तीय/क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री नि०ए० लो०नि०वि० देहरादून उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा कीजियेगा।

प्रतिलिपिः- जिला अध्यक्ष/महामंत्री लो०नि०वि० गौचर/पी०आई०यू० जोशीमठ को इस आशय से प्रेषित की अपने स्तर से भी अवश्यक कार्यवाही करने की कृपा कीजियेगा।

प्रार्थी

धर्म सिंह
(कनिष्ठ सहायक),
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अधी. अभि. [illegible] गोपेश्वर,
अग्रेषित,
प्रार्थी के [illegible]
अग्रसारित,

[signature] 06-05-2024
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

(DB File)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

प्रारूप–2

खण्ड का नाम:–प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रानीखेत।

क्र.सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा 17 (ख) के अनुसार अनुरोध का आधार (साक्ष्यों सहित)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	महेश चन्द्र/	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0विभाग रानीखेत	अल्मोड़ा /भिकियासैण	1– रा0मा0 खण्ड,रानीखेत। 2– निर्माण खण्ड, रानीखेत। 3– प्रान्तीय खण्ड रानीखेत।	धारा 17 (1)ख (फ)	महोदय आपके कार्यालय ज्ञाप सं0 698/125 व्यग– अधि–30/2023 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा मेरा स्थानान्तरण प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0 रानीखेत में किया गया था। जिसके फलस्वरुप मेरे द्वारा दिनांक 22.09.2023 को योगदान दिया गया है। लगभग 6 माह व्यतीत होने के पश्चात पुनः स्थानान्तरण की पात्रता सूची में नाम अंकित किया गया है। मेरे द्वारा अभी ही अपने बच्चो का रानीखेत स्थित विद्यालयो के कक्षाओं में पंजीकरण किया गया है। जबकि मेरा पाल्य कक्षा 10 में एवं पाल्या कक्षा 5 में अध्ययनरत है इसके साथ ही मेरा पाल्य जो कक्षा 10 में अध्ययनरत है उसका शैक्षिणिक संस्थान परिवर्तन नही किया जा सकता है। मेरा स्थानान्तरण होने के पश्चात मेरे पाल्य को भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा 6 माह के पश्चात पुनः स्थानान्तरण होने पर प्रार्थी की पारिवारिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। प्रार्थी को उक्त परिस्थितियों से निपटने में काफी दिक्कतो का सामना करना पड़ेगा उक्त सम्भावना को देखते हुए प्रार्थी दुर्गम में ही तैनात रहने का इच्छुक हूँ,इसने मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है। शासनादेश संख्या 7 / 30236 / XXX (2) /2023/E–33060 दिनांक 15.06.2023 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "राज्याधीन सेवाओं में दुर्गम में तैनात कार्मिक यदि दुर्गम में ही तैनात रहना चाहते है तो उन्हें अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट प्रदान की जा सकेगी, किन्तु ऐसे कार्मिक को एक ही कार्यालय/तैनाती स्थल पर 4 वर्ष से अधिक का समय नही हुआ हों " का प्राविधान है। प्राविधान के अनुसार प्रार्थी को वर्तमान कार्यालय में योगदान दिये हुए अभी 6 माह का समय ही हुआ है। अतः मुझे अनिवार्य स्थानान्तरण से मुक्त रखते हुए प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0रानीखेत मे ही बने रहने दिया जाय।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम– महेश चन्द

पदनाम– कनिष्ठ सहायक

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रानीखेत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 E Mail :-eepdgpr1@.gmail.com

पत्रांक– 924 /4 ई० दिनांकः– 06/05/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि० उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक– 546/व्यक–स्थानान्तरण–सा./2023, दिनांक– 16.04.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत करना है, कि खण्ड के अन्तर्गत श्री धर्म सिंह कनिष्ठ सहायक, का अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु 7 एच्छिक स्थानों सहित प्रारूप–2 संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न–① प्रारूप-2
② आवेदन पत्र मूल में

06.05.2024

(इं० राजबीर सिंह चौहान)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग पौड़ी को सुचनार्थ एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता 7 वॉं वृत्त, लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इं० राजबीर सिंह चौहान)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	धर्म सिंह	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर	टिहरी / घनसाली	01. निर्माण खण्ड चम्बा 02. अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर 03. निर्माण खण्ड श्रीनगर 04. अस्थाई खण्ड थत्यूड 05. निर्माण खण्ड देहरादून 06.रा० मा० ख० देहरादून 07. प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार	धारा 17 (I) (ख) (एक) धारा 17 (I) (ख) (दो) धारा 17 (I) (ख) (तीन) धारा 17 (I) (ख) (चार) धारा 17 (I) (ख) (पांच) ✓धारा 17 (I) (ख) (छ:) धारा 17 (I) (ख) (सात)		

नोट:– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवाय होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम– इं. राजबीर सिंह चौहान
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्मिक)
06/05/2024
नाम– धर्म सिंह
पदनाम– कनिष्ठ सहायक

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप–2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						धारा के नाम के आगे लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	धर्म सिंह	कनिष्ठ सहायक	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर	टिहरी / घनसाली	01. निर्माण खण्ड चम्बा 02. अस्थाई खण्ड कीर्तिनगर 03. निर्माण खण्ड श्रीनगर 04. अस्थाई खण्ड थत्यूड 05. निर्माण खण्ड देहरादून 06. रा० मा० ख० देहरादून 07. प्रान्तीय खण्ड हरिद्वार 08. प्रान्तीय खण्ड टिहरी 09. अस्थाई खण्ड घनसाली	धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छः) धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नोट:– कॉलम संख्या–07 में दर्शायें गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम– धर्म सिंह
पदनाम– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम– ई. राजबीर सिंह चौहान
पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

क्रम सं0 2321
पत्रावली सं0 45
दिनांक 06/05/2024

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन लो.नि.वि.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषय– अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अनुरोध है कि प्रार्थी वर्तमान में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। खण्ड में मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर नवनियुक्ति होने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा दिनांक– 11.05.2022 को योगदान किया गया है। प्रार्थी की माता जी वृद्ध हैं, जो कि वर्तमान में गांव (ग्राम– गवाणा मल्ला, तहसील– घनसाली, जिला– टिहरी गढ़वाल) में रह रही हैं उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सालय जाना पड़ता है।

महोदय प्रार्थी की माताजी गांव में अकेली रहती हैं तथा वृद्ध है जिनकी देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी के ऊपर है। प्रार्थी को समय–समय पर माताजी के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सालय जाना पड़ता है। प्रार्थी की तैनाती गांव से अत्यधिक दूरस्थ होने के कारण प्रार्थी की माताजी का स्वास्थ्य परीक्षण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः महोदय से करबद्ध निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद टिहरी के किसी भी खण्ड में करने की कृपा कीजियेगा।

प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

प्रार्थी
06/05/2024
धर्म सिंह
(कनिष्ठ सहायक)
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
गोपेश्वर

अग्रिम प्रतिलिपि:– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०वि०वि० देहरादून का इस अनुरोध के साथ प्रेषित की प्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये प्रार्थी का स्थानान्तरण देहरादून के किसी भी खण्ड में करने की कृपा कीजियेगा।

प्रतिलिपि:– प्रान्तीय/क्षेत्रीय अध्यक्ष/महामंत्री मि०ए० लो०नि०वि० देहरादून उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित की अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा कीजियेगा।

प्रतिलिपि:– जिला अध्यक्ष/महामंत्री लो०नि०वि० गौचर/पी०आई०यू० जोशीमठ को इस आशय से प्रेषित की अपने स्तर से भी अवश्यक कार्यवाही करने की कृपा कीजियेगा।

प्रार्थी

धर्म सिंह
(कनिष्ठ सहायक),
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

अधी० अभि० रवां दून गोपेश्वर,
महोदय,
मूल में संस्तुति सहित
अग्रसारित।

06-05-2024
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

O/C.

(DB File)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	संजय नेगी	कनिष्ठ सहायक	प्रा० ख० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग	पौड़ी / श्रीनगर गढ़	(1) अ० ख० कीर्तिनगर (2) रा० प्रा० ख० श्रीनगर (3) नि० ख० श्रीनगर	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत तथ्यों का विवरण	
						☐ धारा 17(1) (ख) (एक)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
						☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
						☑ धारा 17(1) (ख) (छ:)	माता का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, प्रमाण पत्र संलग्न	
						☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		

नोट:– कॉलम संख्या–07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक) Sanjay

नाम– संजय नेगी

पदनाम– कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम अधिशासी अभियन्ता

पदनाम प्रा० ख० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग

MAA DHARI DIAGNOSTIC CENTRE

DR. JYOTI JOSHI, MBBS
M.D. RADIODIAGNOSIS
7456875543
7456875543

Facilities available:

ULTRASOUND

- Usg whole abdomen &pelvis
- Obstetrics Ultrasound
- Level II Ultrasound /Anomaly Scan
- TVS & TRUS
- USG Small Parts (Neck,Thyroid, Scrotum,Cranium & MSK)
- Breast Ultrasound.
- Follicular monitoring
- B-Scan/ EyeUltrasound
- Chest Ultrasound

COLOR DOPPLER

- Obstetrics Doppler
- Carotid Doppler
- Peripheral Vascular Doppler
- Renal Doppler
- Scrotal Doppler

Other Services

- ECG
- Echocardiography
- Holter Monitoring

NAME :- Pushpa devi AGE / SEX :- 60y / f

DATE :- 22/11/24

BP = 130/90

CBC

ABD Pain | x 5

USG whole Abdo

Rx

Tab Cefixim 200mg × BD × 5day

Tab Aceday-TH × BD × 10day

Syp Cough × 1 TSF × BD

Tab Esomeprazole × BBF × 10day

Tab Trimeal SART - OD × 30day

USG Scanning Timings:
3:30pm to 9:00 pm

Sunday Timing
10:00am to 5:00pm

पता: गैस GODAM के पास, श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर गढ़वाल
(VALID FOR 7 DAYS ONLY, 7 दिनों के लिए वैध)

06/05/2024

अनुरोध के आधार पर आवेदन का प्रारूप–2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा 17 के नाम के आगे ✓ लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	आशीष जोशी	कनिष्ठ सहायक	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रूद्रप्रयाग	पौड़ी गढ़वाल/ पौड़ी गढ़वाल	1– अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर। 2– निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, श्रीनगर	धारा 17 (1) (ख) (क)	–	अनुरोधकर्ता का परिवार जनपद पौड़ी गढ़वाल में निवास करता है तथा अनुरोधकर्ता विगत 4 वर्षों से जनपद रूद्रप्रयाग में कार्यरत है। जिस कारण अनुरोधकर्ता द्वारा दुर्गम से दुर्गम खण्ड में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है, ताकि अनुरोधकर्ता अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ–साथ शासकीय दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन कर सके।

आशीष जोशी
कनिष्ठ सहायक
रा०मा०,खण्ड, लो०नि०वि०, रूद्रप्रयाग

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

1/5/24

इं० निर्भय सिंह
अधिशासी अभियन्ता
रा०मा०,खण्ड, लो०नि०वि०,
रूद्रप्रयाग

प्रारूप-1

	नाम, पदनाम	कार्यालय का नाम	विकल्प	टिप्पणी
2	3	4	5	6
1- 42270313M01456	श्री अभिषेक तिवारी	वि0/यां0 खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून	(1) नि0 खण्ड लो0नि0वि0 चम्बा (2) अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 चकराता (3) अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 [illegible] (4) प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी (5) अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 कीर्तिनगर	

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- अभिषेक तिवारी

पदनाम- कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (नियंत्रक अधिकारी)

अधिशासी अभियन्ता

नाम- वि0/यां0 खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून

पदनाम-

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र0सं0	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद /तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
1	श्री गिरीश चन्द्र	कनिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 कपकोट	अल्मोड़ा / रानीखेत	1. निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा 2. प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा 3.प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0 डीडीहाट 4.वि0 / या0 खण्ड लो0नि0वि0 पिथौरागढ़	☐ धारा 17 (1) (ख) (एक) ☐ धारा 17 (1) (ख) (दो) ☐ धारा 17 (1) (ख) (तीन) ☐ धारा 17 (1) (ख) (चार) ☐ धारा 17 (1) (ख) (पांच) ☑ धारा 17 (1) (ख) (छः) ☐ धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रार्थना पत्र	प्रार्थी के घर से कार्यक्षेत्र की दूरी लगभग 150 कि0मी0 है। प्रार्थी को इस खण्ड में लगभग 4 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है, प्रार्थी की माताजी काफी वृद्ध हैं एवं बीमार रहती हैं, जिनका इलाज हल्द्वानी एवं बरेली श्री राममूर्ति अस्पताल से चल रहा है, जिस हेतु प्रार्थी को माताजी के इलाज के लिए माह में 2 बार जाना पड़ता जिस कारण राजकीय कार्यों के संपादन में भी बाधा उत्पन्न होती है।

09/05/2024

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम गिरीश चन्द्र

पदनाम कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

9/05/24

नाम– अमित कुमार पटेल

पदनाम– अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

सेवा में ,

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,
व्यवस्थापन "ग" वर्ग, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

द्वारा— उचित माध्यम।

विषय— अनुरोध के आधार स्थानांतरण चाहने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अनुरोध करना है कि प्रार्थी वर्तमान मे निर्माण खण्ड लो०नि० वि० कपकोट (बागेश्वर) में लगभग 04 (चार) वर्षों से कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थी मूल रूप से अल्मोड़ा तहसील रानीखेत का निवासी हैं। प्रार्थी के घर से कपकोट की दूरी लगभग 150 कि०मी० पड़ती हैं। प्रार्थी की माताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा हैं जिसका ईलाज हल्द्वानी एवं बरेली श्री राममूर्ति अस्पताल से चल रहा है एवं प्रार्थी की माताजी काफी वृद्ध है तथा बीमार रहती हैं। तथा चलने फिरने में असमर्थ है जिसकी देख–रेख करने वाला प्रार्थी के अलावा अन्य कोई नही हैं। माताजी की देख–रेख हेतु बार–बार घर पर आने जाने में अनावश्यक व्यय करना पड़ता है एवं राजकीय कार्यों के संपादन में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिस कारण कि प्रार्थी को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रार्थी का निजी हित में स्थानान्तरण रूद्रपुर, हल्द्वानी, भवाली, नैनीताल, रामनगर स्थित मुख्यालय के किसी भी खण्ड मे करने का कष्ट करें। ताकि प्रार्थी अपने राजकीय कार्य के साथ–साथ अपनी माताजी का ईलाज एवं उनकी देख–रेख कर सकूँ तथा अनावश्यक आर्थिक व्यय से बच सकूँ। प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।

प्रार्थी
(हस्ताक्षर) 04/05/24
(गिरीश चन्द्र)
कनिष्ठ सहायक
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० कपकोट

अग्रिम प्रतिलिपि— प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापक ग वर्ग लो०नि०वि० देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य अभियन्ता कुमाऊं, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त लो०नि०वि० अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि — प्रान्तीय अध्यक्ष /महामंत्री मिनीस्ट्रीयल एसोसिऐशन लो०नि०वि० उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि — जिलाध्यक्ष /महामंत्री मिनीस्ट्रीयल एसोसिऐशन लो०नि०वि० उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि — क्षेत्रीय अध्यक्ष / महामंत्री मिनीस्ट्रीयल एसोसिऐशन लो०नि०वि० उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

(गिरीश चन्द्र)
कनिष्ठ सहायक
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० कपकोट

मूल में प्रमुख, संस्तुति सहित अग्रसारित

(हस्ताक्षर) 05/05/24
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता	एक्ट के धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ललित प्रसाद	कनिष्ठ सहायक	रा० मा० खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट।	अल्मोड़ा / रानीखेत	1.नि०ख०, रानीखेत।	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति दि०28.12.2020 को रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट में हुई है। महोदय मेरी माताजी का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब रहता है। उन्हें मधुमेह व उच्च रक्तचाप की शिकायत है। जिस कारण उनका स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हल्द्वानी आना जाना पड़ता है। मेरा घर [illegible] तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में है एवं मेरा कार्यालय लोहाघाट जिला चम्पावत में है। जिस कारण मुझे अपनी माताजी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरा स्थानान्तरण रानीखेत स्थित किसी एक खण्ड में करने की कृपा करें।
					2.अ०ख०, रानीखेत।	☑ धारा 17(1) (ख) (एक)	संलग्न चिकित्सा प्रमाण-पत्र।	
					3.प्रा०नि०खण्ड, रानीखेत।	☐ धारा 17(1) (ख) (दो)		
					4.नि०ख०,अल्मोड़ा।	☐ धारा 17(1) (ख) (तीन)		
					5.प्रा० ख०, अल्मोड़ा।	☐ धारा 17(1) (ख) (चार)		
					6.नि०ख०-2 अल्मोड़ा।	☐ धारा 17(1) (ख) (पांच)		
					7.अ०ख०,भवाली।	☐ धारा 17(1) (ख) (छः)		
					8.नि०ख०,हल्द्वानी।	☐ धारा 17(1) (ख) (सात)		
					9.नि०ख०,रामनगर।			
					10.नि०ख०, काशीपुर।			

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम-ललित प्रसाद।
पदनाम-कनिष्ठ सहायक

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
नाम-ई० आशुतोष कुमार।
पदनाम-अधिशासी अभियन्ता

सेवा में

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

दिनांक 07/05/2024

द्वारा:– उचित माध्यम।

विषयः– वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024–25 के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि प्रार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर रा0 मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट में कार्यरत हैं। महोदय प्रार्थी का नाम स्थानान्तरण पात्रता सूची में कमांक 100 पर नाम अंकित है। प्रार्थी की माताजी मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप रोग से ग्रसित है। वर्तमान मे प्रार्थी का कार्यालय लोहाघाट में स्थित है। महोदय अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति दि0.28.12.2020 को रा0मा0 खण्ड लो0नि0वि0 लोहाघाट में हुई है। महोदय मेरी माताजी का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब रहता है। जिस कारण उनका स्वास्थ्य परीक्षण हेतु हल्द्वानी आना जाना पड़ता हैं। मेरा घर गोलू छीना वि0 ख0 द्वाराहाट तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में है एवं मेरा कार्यक्षेत्र लोहाघाट जिला चम्पावत में है। जिस कारण मुझे अपनी माताजी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 13,14,17 (1) (ख),के बिन्दु सं0 (एक) के अनुसार प्रार्थी का अनुरोध के आधार स्थानान्तरण रानीखेत स्थित किसी एक खण्ड में करने की कृपा करें। जिस हेतु प्रार्थी आपका आजन्म आभारी रहेगा।

दि0:–

प्रार्थी

(ललित प्रसाद)
कनिष्ठ सहायक
रा0मा0 खण्ड,लो0नि0वि0,लोहाघाट।

अग्रिम प्रतिलिपिः–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को प्रार्थी की वर्तमान स्वास्थ्य एवं पारिवारिक परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए रानीखेत स्थित किसी एक खण्ड मे स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–प्रान्तीय अध्यक्ष / महामंत्री,उ0मि0ए0लो0नि0वि0उत्तराखण्ड,देहरादून को इस आशय से प्रेषित की प्रार्थी की वर्ममान परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए संघ के माध्यम से पत्र अग्रसारित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अध्यक्ष / महामंत्री,उ0मि0ए0लो0नि0वि0उत्तराखण्ड,कुमांयू क्षेत्र को इस आशय से प्रेषित की प्रार्थी की वर्ममान परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए संघ के माध्यम से पत्र अग्रसारित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपिः–प्रान्तीय उपाध्यक्ष, उ0मि0ए0लो0नि0वि0उत्तराखण्ड,देहरादून / पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित की मेरी स्थिति की आपको भलीभाँति जानकारी है साथ ही आपके व्यक्तिगत प्रयास की भी आवश्यकता है।

(ललित प्रसाद)
कनिष्ठ सहायक
रा0मा0 खण्ड,लो0नि0वि0,लोहाघाट।

G T Base Hospital

G T Base Hospital, Lower Mall Road, HAWALBAG, Almora,
ALMORA, UTTARAKHAND, 263601
.ALMORA,UTTARAKHAND,Pin: 263601

Registration No : 20230018790
Visit No : 1 / Token No : 16
Room No : OPD-1,Block - Ist,Ground,Orthopedics1

OUT PATIENT RECORD

Name : Mrs. Bashanti Devi
Registration Amount : Rs. 28
Mobile No : 7452057239
Department : Orthopaedics
Sex : F
Dept. Reg. No : 20230002981
Address :ALMORA,ALMORA(UTTARAKHAND,
Date of Registration : 27/07/2023 10.36 AM
Age : 55Y
Patient Type : General
MLC Patient : NO

Tab Amoxyclav 625 mg
Tab Zedol-SP
Tab Flotapine

Prepared By: Mr. Pankaj Kapil